Form No. III # 2021/374

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

किस्त मुकदमा अमीर कौर आदि बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बरोदा

अपील नं. .... सन 4/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
6/7/2021	अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब करें। पत्रावली दिनांक 11/10/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11/10/21	प्रशासन गांव के संग अभियान में पत्रावली [illegible] दिनांक 17/1/22 पेश हो (हस्ताक्षर) एस0डी0एम0 [illegible] एस0डी0एम0 बयाना	
22/11/21	तकरार- आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत शिविर स्थल बरोदा आयोजित शिविर में प्रकरण तलब किया। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील विरुद्ध ग्राम पंचायत बरोदा के ग्राम बरोदा मा०ह० 727 निर्णय दिनांक 31/08/2020 विरुद्ध पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बरोदा के नामान्तरकरण संख्या 727 में विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थी का ~~नाम~~ जाति गूजर के स्थान पर ठाकुर दर्ज कर दिया है जो कि मृतक बाबू की जमाबन्दी में बाबू पुत्र मक्खा जाति गूजर साकिन दे खातेदार दर्ज है। इसके अलावा अपीलार्थी	

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	पटवार हल्का बरोदा के पटवारी को जो दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत किए थे वे [illegible] की जाति गुजर दर्ज है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का बरोदा ने नामान्तकरण में अपीलान्टस की जाति गुजर के स्थान पर ठाकुर दर्ज कर दी है जो सरासर गलत व गैर कानूनी है अपीलान्टस को सख्त हक तलफी है। पटवारी हल्का ने बिना जाँच किए नामान्तकरण में ठाकुर दर्ज कर दिया है। नामान्तकरण 727 निर्णय दिनांक 21/08/2020 ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा बिना जाँच किए ही स्वीकृत कर फैसला किया है जो सरासर गलत है। उक्त त्रुटि की जानकारी अपीलार्थी को नकल दिनांक 4/06/2024 को लेने पर प्रथम बार हुई। अपील अन्दर म्याद पेश है। डिले कण्डोन किए जाने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामा० 727 फैसला दिनांक 21/8/2020 ग्राम बरोदा तहसील बयाना में अपीलार्थी की जाति ठाकुर के स्थान पर गुजर दर्ज किए जाने का आदेश तहसीलदार बयाना को दिए जाने का निवेदन किया है। अपील मय प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया। रेस्पोन्डेन्ट ने ग्राम - बरोदा में अपीलान्ट की जाति गुजर होना, व गलती से नामान्तकरण	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
	[illegible] में ठाकुर दर्ज होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट की जाति ठाकुर के स्थान पर गुजर की जाति है तो ग्राम पंचायत बरोदा को कोई आपत्ती नहीं है। अपने जवाब अपील में पेश किया है। हमने शिविर में उभय पक्षकारान को सुना। पत्रावली में संलग्न अभिलेख यथा नामान्तरकरण संख्या 727, जमाबन्दी सम्वत 2073-2076, नकल शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बाबू लाल व अपीलार्थ भरतसिंह द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, आयकर विभाग के पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स की नकलों में जाति गुजर अंकित है। ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा अपील स्वीकृत करते वक्त अपीलान्ट आदि मृतक बाबू के वारिसान की जांच करनी चाहिए थी परन्तु ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा नामान्तरकरण की जांच किए बिना ही फैसल किया है। जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा नामान्तरकरण फैसल करने में (बिना जांच किए) कानूनी भूल की है। अपील अपीलार्थ स्वीकार योग्य है। आदेश - अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम बरोदा के नामान्तरकरण संख्या 727 दिनांक 21/08/2020 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह मृतक बाबू के कानूनी वारिसान की जांच कर, अपीलार्थ को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय शिविर बरोदा में मेरे द्वारा लिखाया जाकर	

सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)